

सं० 20-53/2011-भवन
वन अनुसंधान संस्थान,
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
डाकघर-न्यू फॉरेस्ट, देहरादून ।

दिनांक : 30 मार्च, 2015.

परिपत्र

इस संस्थान परिसर स्थित बंगलों को संस्थान में कार्यरत अधिकारियों को आबंटित किया जाता है और संबंधित आबंटि द्वारा बंगलों में स्थित आउट हाउसों को उनके द्वारा अपनी सुविधानुसार अन्य व्यक्तियों को रहने के लिए दिया जाता है। अतः आउट हाउसों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बंगले के आबंटि की होगी। आबंटि द्वारा बंगलों के आउट हाउसों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अपने बंगले में उत्तराखण्ड पावर का 0 लि० द्वारा उपलब्ध विद्युत संयोजन से करेंगे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे की उनके बंगले के आउट हाउस में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बंगले के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं और से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाए।


30/3/15
(शशिकर सामन्त)

कुलसचिव,
वन अनुसंधान संस्थान।

मानक वितरण

प्रतिलिपि: प्रमुख, अभियांत्रिकी एवं सेवाएं प्रभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे संबंधित कर्मचारियों को संस्थान के आउट हाउसों में विद्युत आपूर्ति की जाँच हेतु आवश्यक निदेश जारी करने की कृपा करें।